तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्… अहक… हुक्म की … में जारी हु…
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा रामेश्वर वैष्णव बनाम मोहन वैष्णव वगैरह विविध-प्रार्थना प्र.क्र.- 29/18	
16.03.2018		

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम चमनपुरा में पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। विचारण प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। इस पत्रावली से सम्बन्धित समान अनवानी आराजीयात का एक अन्य राजस्व वाद प्रकरण संख्या 28/2016 अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट में इस न्यायालय से पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध इन्ही पक्षकारान में से विपक्षी कम 01 की और से माननीय न्यायालय आर.ए.ए. भीलवाडा के यहां अपील दायर की गयी। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति रखे जाने बाबत स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, जो अभी वर्तमान में प्रभाव में है। । माननीय न्यायालय से मामले में किसी भी प्रकार के नवीन निर्देश आने तक इस न्यायालय में विचारण प्रार्थनापत्र में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना न्याय संगत नही होगा। ऐसी स्थिती में इस पत्रावली को एक ही चरण पर निरन्तर चलाया जाने का कोई ओचित्य प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में आगे की कार्यवाही माननीय न्यायालय आर.ए.ए. भीलवडा से नवीन निर्देश आने तक स्थगित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।